आतंक | नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता

सड़कों पर बढ़ता आवारा डॉग्स का आतंक

जबलपुर, नवभारत। शहर में इन दिनों स्ट्रीट डॉग्स की बढ़ती संख्या और उनके हमलों से आम जनता परेशान है। नगर निगम द्वारा जानकारी दी गई थी कि हर जोन में आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है, ताकि पशुओं को राहत मिल सके और लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके लेकिन नवभारत टीम की जमीनी जांच पड़ताल के दौरान स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत सामने आई। किसी भी जोन में न तो कुत्तों के लिए शेल्टर की व्यवस्था दिखाई दी और न ही पीने के पानी की कोई सुविधा नजर आई। इससे साफ है कि नगर निगम के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, शहर में डॉग बाइटिंग की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर छोटे बच्चों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में लोग डर के माहौल में जी रहे हैं और बच्चों को अकेले बाहर भेजने से भी कतराने लगे हैं।

फिर सड़कों पर छोड़े जा रहे डॉग्स

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर उनका टीकाकरण किया जाता है और पहचान के लिए उनके कान में 'ङ्क' कट लगाया जाता है। इसके बाद कुछ समय तक आइसोलेशन में रखने के बाद उन्हें वापस उसी स्थान पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि, इस प्रक्रिया के बावजूद शहर में कुत्तों की संख्या और उनके हमलों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। इससे नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं निकाला जाएगा, तब तक यह समस्या और गंभीर होती जाएगी। फिलहाल, प्रशासन के दावे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा अंतर साफ तौर पर नजर आ रहा है।

इनका कहना है

हमारे इलाके में कुत्तों के लिए न शेल्टर है न पानी, संख्या लगातार बढ़ रही है और डॉग बाइट की घटनाओं से बच्चों को बाहर भेजने में अब डर लगता है।

सोनाली यादव

मैं रांझी में रहती हूँ यहाँ पर खुले आम कुत्तो का आतंग मचा हुआ है। निगम को इसपर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

सुचिता शर्मा

स्वच्छता का संकल्प, जबलपुर को नंबर 1 बनाने एकजुट हुई संस्कारधानी

स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में दिखी जनभागीदारी

नवभारत,जबलपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को देश के अग्रणी पायदान पर लाने के लिए अब नगर निगम के साथ-साथ शहर के प्रबुद्ध वर्ग ने भी कमान संभाल ली है। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और कॉफी हाउस एसोसिएशन के सैकड़ों पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और जबलपुर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने का सामूहिक संकल्प लिया। इस अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों ने संकल्प लिया कि शहर के जो नागरिक स्वच्छ सर्वेक्षण में साकारात्मक फीडबैक देकर अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करेगें उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण अस्पताल परिसर में शिविर लगाकर नि:शुल्क किया जायेगा।

आई.एम.ए. के सदस्यों ने स्वच्छता को स्वास्थ्य से जोड़ते हुए क्लीनिक और अस्पतालों में कचरा प्रबंधन के प्रति सजगता बढ़ाने का आश्वासन दिया। कॉफी हाउस एसोसिएशन सहित अन्य व्यापारिक संगठनों ने दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर सिंगल यूज प्लास्टिक का त्याग करने और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। नगर निगम द्वारा संचालित थ्री आर केंद्रों पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ नागरिक पुराने सामान को नया रूप देने और कचरे के सही निपटान की तकनीक सीख रहे हैं।

सर्व सहभागिता ही बनेगी मिसाल

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह एवं निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि सरकारी मशीनरी के साथ जब समाज के डॉक्टर, व्यापारी, शिक्षाविद और कलाकार जुड़ते हैं, तभी कोई अभियान जन-आंदोलन बनता है। उन्होंने विश्वास जताया कि संस्कारधानी के लोगों के सहयोग से जबलपुर इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इतिहास रचेगा। जब शहर का हर नागरिक इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो जबलपुर को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। उधर नगर निगम द्वारा थ्री आर सेंटरों पर कराई जा रही गतिविधियों में समाज के हर वर्ग के लोग उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से कचरे से कंचन बनाने की कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोग न केवल जागरूक हो रहे हैं बल्कि आनंदित भी महसूस कर रहे हैं।

तहसील न्यायालयों में अधिवक्ताओं के बैठने की हो व्यवस्था

जबलपुर, नवभारत। ज़िला अधिवक्ता संघ के द्वारा जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में तहसील कार्यालय जैसे तहसील रांझी, तहसील गोरखपुर, तहसील कुण्डम, व तहसील बरेला में प्रकरणों की परैवी हेतु अधिवक्तागणों एवं पक्षकारों को तहसील न्यायालयों में उपस्थित होना पड़ता है, कभी - कभी न्यायालयों में अधिकारी अन्य स्थानों पर व्यवस्था के कारण बैठ नहीं पाते है जिस कारण पक्षकार व अधिवक्ता महोदय को रूक कर अधिकारी का इंतजार करना पड़ता है, वर्तमान में भीषण गर्मी की वजह से अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो समस्त जबाव देही प्रशासन की होगी।

जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर द्वारा पूर्व में जबलपुर के उपरोक्त संदर्भ में अग्रह प्रस्तुत किया गया था जिसमे तत्कालिन जिलाध्यक्ष द्वारा तहसील कार्यालय में एक कक्ष अधिवक्ताओं के बैठक व्यवस्था सहित कम्पयूटर युक्त लाइबेरी की कराई जाने का आश्वासन दिया गया पर कियान्यवन नहीं होने के कारण 23 जनवरी 24 एवं 17 जनवरी2025 में उपस्थिति होकर आग्रह किया जा चुका है लेकिन आज तक इन तहसीलों में बैठक की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है।

कटनी लीज पट्टा आवंटन मामले में राहत

जबलपुर। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन न होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। जिसके बाद लीज पट्टा मामले में कटनी निवासी गायत्री सोनी सहित अन्य को राहत मिल गई है। अवमानना प्रकरण में सुनवाई करते हुए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिसके बाद याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देकर कलेक्टर कटनी, आयुक्त नगर पालिका निगम कटनी को 30 दिनों में आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए। इसके तहत भूखंडों को लाटरी पद्धति के आधार पर हितग्राहियों को आवंटित किया जाएगा। चूकी आवंटन के लगभग 30 वर्ष हो गए हैय अत: कब्जा देते समय लीज नवीनीकरण की कार्यवाही भी की जा सकेगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व शुभंकर सोनकर ने पक्ष रखा।

जीआरपी ने पकड़ा शातिर चोर

जबलपुर, नवभारत। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल भावना मरावी व उप अधीक्षक अंकिता सुल्या के मार्गदर्शन मे थाना प्रभारी जीआरपी जबलपुर द्वारा जीआरपी थाना जबलपुर के अंतर्गत हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु टीम गठित कर भीड भाड मे हो रहे अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष चैकिंग चलाई जा रही है। चैकिंग के दौरान 05 मई को प्लेटफार्म नं एक के इटारसी छोर रेलवे स्टेशन जबलपुर आउटर पर एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में पटरी पार करते हुये मिला जिसे मौके पर पकड़ा गया व स्टेशन आने का उचित कारण नहीं बता पाने पर जितेन्द्र झारिया पिता अनारी लाल झारिया उम्र 30 निवासी मझौली खबरा थाना मझौली जिला जबलपुर को थाने लाया गया और सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि विगत 4 मई को सुबह के समय अमरकंटक एक्सप्रेस के एसी डिब्बे से एक लेडिस पर्स चोरी करना स्वीकार किया व चोरी किये लेडिस पर्स में मिले हुये चांदी की पायल, एक मोबाइल व 500 रूपये नगदी कुल कीमत 12500 रूपये का जेब से निकालकर पेश किया जो मामले का मसरूका होने से जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में जीआरपी थाना जबलपुर संजीवनी राजपूत के नैतृत्व मे प्रधान आरक्षक संतोष कुशवाहा प्रमोद गुप्ता का विशेष योगदान रहा।

शादी का झांसा देकर युवती की लूटी आबरू

जबलपुर। हनुमानताल थाना क्षेत्र में एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाकर पहले उसका भरोसा जीता और फिर शादी का झांसा देकर महीनों तक उसका देह शोषण करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के अनुसार, घसिया कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय पीड़िता ने कराई कि जनवरी माह में उसकी जान-पहचान पड़ोस में रहने वाले सूर्यांश घसिया से हुई थी। सूर्यांश ने उसे प्रेम जाल में फंसाया और एक दिन जब युवती घर में अकेली थी, तब उसने शादी का पक्का वादा करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया।

दूसरी युवती से शादी के बाद खुला राज, वादे से मुकरा

युवती का आरोप है कि आरोपी लगातार उसे शादी का दिलासा देता रहा और शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता को आरोपी की असलियत तब पता चली जब उसे जानकारी मिली कि सूर्यांश ने उसे धोखे में रखकर किसी दूसरी युवती से विवाह कर लिया है। धोखे की जानकारी मिलते ही पीड़िता ने जब सूर्यांश पर शादी के पुराने वादे को निभाने का दबाव बनाया, तो वह साफ मुकर गया। पीड़िता सीधे थाने पहुंची और पुलिस को पूरी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी सूर्यांश घसिया के खिलाफ दुष्कर्म के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है ?

एक नजर में

आज व्हीआईपी मूवमेंट, अलर्ट

जबलपुर। गुरूवार को शहर में व्हीआईपी मूवमेंट होने वाला है जिसको लेकर पुलिस-प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड़ में आ गया है।

जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरूवार शाम 5 बजे जबलपुर एयरपोर्ट से वायुयान द्वारा आंध्रप्रदेश के तिरूपति के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकारकेंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम का गुरुवार सुबह 8:20 बजे नई दिल्ली से वायुयान द्वारा जबलपुर आगमन होगा। केंद्रीय मंत्री ओराम डुमना एयरपोर्ट से सुबह 8:55 बजे सर्किट हाउस पहुँचेंगे एवं सुबह 11 बजे कार द्वारा मंडला प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री ओराम शाम 9:30 बजे मंडला जिले के जेवरा रिपटा से कार द्वारा जबलपुर आएंगे। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार 8 मई को सुबह 8:50 बजे डुमना एयरपोर्ट से वायुयान द्वारा नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार केंद्र शासन के जनाजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके का गुरुवार दोपहर 3:50 बजे बैतूल से रेलमार्ग द्वारा जबलपुर आएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री उइके सर्किट हाउस में कुछ देर रूकने के बाद शाम 4:30 बजे कार द्वारा मंडला प्रस्थान करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री उइके मण्डला जिले ग्राम जेवरा रिपटा से रात 10:30 बजे जबलपुर आएंगे। रात 1:10 बजे रेल मार्ग से हरदा प्रस्थान करेंगे। इसी प्रकार प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया का गुरूवार दोपहर 1 बजे कार द्वारा जबलपुर आगमन होगा। सुश्री भूरिया शाम 6 बजे मंडला जिले के ग्राम जेवरा रिपटा के लिए प्रस्थान करेंगी तथा रात 9 बजे वापस आकर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करने के बाद शुक्रवार 8 मई की सुबह 9:30 बजे कार द्वारा भोपाल रवाना होंगी।

मुखबिरी के शक में युवक पर जानलेवा हमला

जबलपुर। गोहलपुर थाना अंतर्गत नर्मदा नगर में मुखबिरी के शक के चलते युवक पर चार बदमाशों ने सरेराह चाकू और डंडों से हमला कर दिया। घायल को गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार नर्मदा नगर निवासी रूपांशु प्रसाद कुशवाहा (36) संस्कार परिसर स्थित एक्स क्लब जिम के पास अपना ई-रिक्शा चार्जिंग पॉइंट संचालित करता हैं। बीती रात करीब 10:30 बजे, जब वे अपनी दुकान पर था, तभी क्षेत्र के ही बदमाश विक्की पंडित, आकाश कोष्टा, सोम कोष्टा और उनका एक अन्य साथी अचानक दुकान के अंदर घुस आए। विक्की और आकाश के हाथों में धारदार चाकू थे, जबकि सोम और चौथा युवक डंडे लिए हुए थे। आरोपियों को शक था कि रूपांशु ने पुलिस को उनके द्वारा की जा रही ई-रिक्शा बैटरी चोरी की सूचना दी है। दुकान में घुसते ही आरोपियों ने चिल्लाकर कहा तूने पुलिस को हमारी शिकायत की है, आज तुझे जान से ही खत्म कर देते हैं। जब रूपांशु ने विरोध किया, तो चारों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने रूपांशु के सिर, बाईं आंख की पलक, कान और पैरों पर चाकू व डंडों से कई वार किए। हमले में रूपांशु लहूलुहान होकर सड़क की तरफ भागे और शोर मचाया। पीड़ित की चीखें सुनकर सड़क से गुजर रहे राहगीर जब बीच-बचाव के लिए दौड़े, तो चारों आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

गर्भवती महिला के पेट में मारी लात

जबलपुर। गोरखपुर थाना अंतर्गत मांडवा में एक महिला ने 5 माह की गर्भवती के पेट पर लात मार दी। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शारदा मंदिर के पीछे मांडवा साईं नगर निवासी उमाशंकर कुशवाहा (52) के मोहल्ले में रहने वाली वंदना यादव पुराने विवाद को लेकर उनके घर के बाहर आई और अचानक हंगामा करने लगी। विवाद का शोर सुनकर उमाशंकर की बेटी अंजली प्रजापति घर से बाहर निकली और उसने वंदना यादव को समझाने की कोशिश की। लेकिन वंदना का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसने अंजली के साथ झूमा-झपटी शुरू कर दी और इसी दौरान अंजली के पेट पर जोर से लात मार दी। अंजली 5 माह की गर्भवती है, लात लगने के कारण उसे असहनीय दर्द होने लगा और उसकी स्थिति बिगड़ गई।

करदाताओं को मिलेगी संपत्तिकर-जलकर के अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट

9 मई को वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन

नवभारत,जबलपुर। म.प्र. शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश पर नगर निगम ने शहर के नागरिकों को अपने पुराने बकाया करों का निपटारा करने का एक सुनहरा अवसर दिया है। आगामी 9 मई दिन शनिवार को आयोजित होने वाली वार्षिक नेशनल लोक अदालत में शासन द्वारा नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 में निहित शक्तियों को उपोग करते हुए संपत्ति कर और जलकर के सरचार्ज (अधिभार) पर भारी छूट करदाताओं को दी जायेगी। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि यह छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 में वन टाइम सेटलमेंट के तहत केवल एक बार के लिए दी जा रही है। निगमायुक्त के अनुसार वार्षिक नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट, 50 हजार रूपये से अधिक तथा 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट, 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। उन्होंने बताया कि जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट, राशि 10 हजार रूपये से अधिक तथा 50 हजार रूपये से कम बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट, राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

उन्होंने बताया कि यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी, उन्होंने बताया कि छूट उपरांत राशि अधिकतम् दो किश्तों में जमा कराई जायेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि वार्षिक नेशनल लोक अदालत के दिन जमा कराई जायेगी, शेष राशि अधिकतम एक माह में जमा कराना अनिवार्य होगा।

सरकार को झटका, पुनरीक्षण याचिका निरस्त

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एक मामले में राज्य सरकार द्वारा एकलपीठ के फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 242 दिनों की भारी देरी को अनुचित करार दिया। जस्टिस आरसीएस बिसेन की एकलपीठ ने सरकार की याचिका निरस्त कर दी। एकलपीठ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के तहत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति के बाद वसूली नहीं की जा सकती है। दरअसल, राज्य शासन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी कि जिसमें सेवानिवृत्त कर्मी भोलानाथ विश्वकर्मा को 6 फीसदी ब्याज के साथ एक लाख 15 हजार रुपए की राशि लौटाने सरकार को कहा गया था। भोलानाथ की ओर से दलील दी गई कि सरकार ने बहुत देरी से पुनरीक्षण याचिका दायर की है। देरी के लिए ठोस और संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया है। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरकार की देरी माफी का आवेदन और पुनरीक्षण याचिका निरस्त कर दिया।

अप्रैल माह में 709 वैगनों की मरम्मत हुई

जबलपुर,नवभारत। पश्चिम मध्य रेल के भोपाल एवं कोटा स्थित रेल कारखानों में कोचों, वैगनों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग कार्य निरंतर उत्कृष्टता के साथ किया जा रहा है। मुख्य कारखाना प्रबंधकों के मार्गदर्शन में अनुरक्षण डिपो ने पिछले वित्तीय वर्ष में सराहनीय प्रदर्शन किया। इसी क्रम में चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में सीआरडब्लूएस भोपाल एवं डब्लूआरएस कोटा में कुल 709 कोचों वैगनों का पीरियोडिक ओवरहॉलिंग किया गया। इसमें सीआरडब्लूएस भोपाल द्वारा 101 कोचों तथा डब्लूआरएस कोटा द्वारा 608 वैगनों का अनुरक्षण किया गया। गत वर्ष इसी माह में 96 कोचों एवं 600 वैगनों का अनुरक्षण किया गया था, जिससे इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में पश्चिम मध्य रेल के कारखानों द्वारा कुल 8725 कोचों वैगनों का पीरियोडिक ओवर हॉलिंग किया गया, जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि रही इसमें सीआरडब्ल्यूएस भोपाल कारखाना द्वारा 1336 कोचों का अनुरक्षण तथा डब्ल्यूआरएस कोटा कारखाना द्वारा 7389 वैगनों की मरम्मत की गई।

ओलावृष्टि से उड़द-मूंग की फसल तबाह किसानों ने मुआवजे की उठाई मांग

एसडीएम, तहसीलदार के साथ राजस्व अमले ने किया निरीक्षण

जबलपुर। ग्रीष्मकालीन (पोड़ल) उड़द एवं मूंग की फसल को हाल ही में हुई ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि ने भारी नुकसान पहुंचाया है। प्रभावित किसानों की स्थिति को देखते हुए भारतीय किसान संगठन, सिहोरा द्वारा जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र मुआवजे की मांग की गई है। ज्ञापन में बताया गया कि किसानों ने बीज, खाद, कीटनाशक और सिंचाई पर भारी खर्च किया था, लेकिन फसलें खेतों में गिरकर नष्ट हो गईं, जिससे उन्हें गंभीर आर्थिक नुकसान हुआ है। इस दौरान एसडीएम रश्मि परस्ते, तहसीलदार ललित ग्वालवंशी (पोड़ा), नायब तहसीलदार जगभानसाह उइके, आरआई एवं पटवारी दल के साथ ग्राम हरसिंघी, सुंगमा, लाहोद और लमकणा में पहुंचकर खेतों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने नुकसान का जायजा लिया और किसानों को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। भारतीय किसान संगठन के जिला उपाध्यक्ष डॉ. संतोष पटेल ने प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित क्षेत्रों का शीघ्र सर्वे कर पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से मुआवजा वितरित किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस मौके पर सुग्रीम पटेल (पूर्व सरपंच), अम्मू, अंकू, अश्वनी वकील, बृजेन्द्र, रामकेश, पंकज, निक्कू, धर्मेंद्र वकील, विनोद पटेल, महेंद्र पटेल और सुरेश पटेल ने भीटा मझौली एवं तहसील क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।

ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्टी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील मान्य

हाईकोर्ट ने दिये सुनवाई के निर्देश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी ट्रस्टी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली अपील को पूरी तरह से मान्य किया है। जस्टिस आरसीएस बिसेन की एकलपीठ ने विविध अपील को प्रथम अपील के रूप में बदलकर उस पर सुनवाई करने के निर्देश दिये है।

यह मामला ओंकारेश्वर मंदिर पब्लिक ट्रस्ट के कार्यकारी प्रबंध ट्रस्टी की नियुक्ति से जुड़ा है। निचली अदालत (खंडवा) ने राव पुष्पेंद्र सिंह को योग्य मानते हुए ट्रस्टी नियुक्त किया था, जबकि याचिकाकर्ता राव देवेंद्र सिंह की आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इसी आदेश को राव देवेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। प्रतिवादी पुष्पेंद्र सिंह की ओर से दलील गई दी कि पहले से एक अपील लंबित थी, इसलिए दूसरी अपील स्वीकार नहीं की जा सकती।

अपीलार्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा एवं अधिवक्ता सिद्धार्थ शुक्ला ने बताया कि पहली अपील तकनीकी रूप से दोषपूर्ण थी और बाद में वापस ले ली गई, इसलिए वर्तमान अपील ही वैध है। न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता ने पहले वाली अपील की जानकारी छुपाई नहीं थी। दूसरी अपील पहले ही दायर हो चुकी थी, इसलिए उसे खारिज नहीं किया जा सकता।

अभियान | स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों पर शहर को अव्वल बनाने का संकल्प

गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का निगमायुक्त ने किया औचक निरीक्षण

नवभारत,जबलपुर। स्वच्छ सर्वेक्षण के मानकों पर शहर को अव्वल बनाने के संकल्प के साथ निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा निरंतर मैदानी निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने आगा चौक स्थित गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पहुंचकर स्वच्छता व्यवस्थाओं एवं कचरा प्रबंधन की तैयारियों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान निगमायुक्त ने वहां तैनात समस्त फील्ड कर्मचारियों और सफाई मित्रों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को सुना और बेहतर कार्य निष्पादन के लिए उनका उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और हमारे फील्ड कर्मचारी इस मुहिम के सबसे महत्वपूर्ण योद्धा हैं।

कचरे के एकत्रीकरण की समीक्षा

इस मौके पर निगमायुकत ने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पर कचरे के एकत्रीकरण और उसके वैज्ञानिक निष्पादन की प्रक्रिया की समीक्षा की। साथ ही कचरा परिवहन में लगे वाहनों की स्थिति और उनके फेरों की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने निर्देश दिए कि शहर के किसी भी बिंदु पर कचरा जमा न रहे और जीरो वेस्ट की अवधारणा पर कार्य किया जाए।